ई–मेल

माननीय मंत्री परिवहन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–14.09.2017 को सम्पन्न राजस्व संग्रहण एवं अन्य विषयों पर संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति–संलग्न सूची के अनुसार

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–

1. **राजस्व संग्रहण (2017–18) की समीक्षा** :– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अप्रैल से अगस्त माह में हुई राजस्व वसूली का पिछले वित्तीय वर्ष 2016–17 के इन्हीं महीनों की वसूली के तुलनात्मक अध्ययन पर यह पाया गया कि प्रतिशत वसूली में वृद्धि ऋणात्मक है। अगस्त माह में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है। इसपर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

चेकपोस्ट पर वसूली की समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिया गया कि यदि चेकपोस्ट पर राजस्व वसूली कम होती है तो इसके लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी जिम्मेवार समझे जायगें। एक से अधिक जिलों में कार्यरत मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक के बीच कार्यों का बँटवारा दिन के हिसाब से संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी आपसी सामंजस्य के आधार पर करेंगे।

राजस्व वसूली में केवल चार जिले यथा– बांका, सुपौल, सहरसा एवं अररिया ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं। शेष जिलों से लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की कारणों की समीक्षा की गई। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व 70 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया तथा 80–70 प्रतिशत के बीच वसूली करने वाले पदाधिकारियों को अपने कार्यो में सुधार लाने हेतु निदेशित किया गया।

जिला परिवहन पदाधिकारी पटना के द्वारा बताया गया कि वाहनों के निबंधन शुल्क योग्य मूल्य में अब GST एवं CESS अलग–अलग दिखाया जाता है जिससे कर योग्य मूल्य कम हो गया है। इसी वजह से अधिक वाहनों के निबंधन के पश्चात भी राजस्व वसूली कम हुई है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि विभाग में कार्यरत **PWC** विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

अनुलग्नक

(अनुपालन–सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा PWC)

2. **ऑनलाईन रिर्पोटिंग (राजस्व संग्रहण एवं DL/RC) :– विभाग द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रेषण हेतु** On line reporting का सॉफ्टवेयर तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। कुछ DTO/MVI/ESI इसका प्रयोग नहीं कर रहे है। कतिपय जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि उनके प्रोग्रामर्स यह कार्य नहीं कर पा रहे है। निदेश दिया गया कि यदि वे अपने कार्यों में सक्षम नहीं है या अपने कार्य के प्रति लापरवाह है तो उनकी सेवा BELTRON को लौटाने की कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में मुख्यालय को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–2)

3. **स्मार्ट कार्ड** :– स्मार्ट कार्ड की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि सभी जिला **परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड के बैकलॉग की स्थिति को समाप्त किया जाय।** कुछ जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता के संबंध में जानकारी दी गई। निदेश दिया गया कि बैठक की समाप्ति के पश्चात स्मार्ट कार्ड विभाग से प्राप्त कर लिया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि आवश्यकता का आकलन कर विभाग द्वारा पहले से ही BELTRON से स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने की कार्रवाई कर ली जाय।

(अनुपालन–सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–2)

4. **HSRP की प्रगति** :– इस संबंध में यह निदेश दिया गया कि **HSRP** के प्रतिनिधि के साथ विभाग में एक बैठक आयोजित किया जाय।

(प्रशाखा–2)

5. **सर्वक्षमा योजना (Amnesty) की प्रगति** :– समीक्षा के दरम्यान यह पाया गया कि इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। फलतः इसके प्रचार–प्रसार के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की सहायता लेते हुए पर्याप्त बैनर एवं होडिंग के द्वारा इस योजना को जन विशेष तक प्रचारित करने का निदेश दिया गया। स्थानीय स्तर पर संचालित चलचित्र गृहों के माध्यम से भी इसको प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–2)

6. **अंकेक्षण** :– महालेखाकार के वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन का अविलंब अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है। लोक लेखा समिति के लंबित कंडिकाओं का अद्यतन प्रतिवेदन भेजने हेतु अनुरोध किये जाने पर प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में भेजे गये प्रतिवेदनों को पुनः भेज दिया जाता है जिससे लंबित कंडिकाओं का अनुपालन नही हो पाता है। प्रधान सचिव द्वारा अविलंब अद्यतन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–3)

7. **सड़क सुरक्षा निधि में शीर्ष वार जमा की गई राशि की अद्यतन विवरणी एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक** :– सड़क सुरक्षा मद में प्राप्त शेष की राशि यथोचित शीर्ष में ससमय जमा कराने हेतु निदेश दिया गया।

साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हर माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा सड़क सुरक्षा कोषांग)

8. **नाव निबंधन** :– स्थानीय स्तर पर संचालित नावों का निबंधन अनिवार्य रूप से किया जाय। संचालित नावों पर लोड लाईन मार्किंग किये जाने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया। निबंधन एवं लाइसेंस देने के क्रम सुनिश्चित किया जाय कि नाव में Safety Equipment हो।

(अनुपालन – सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–7)

9. **सेवान्त लाभ** :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में लंबित सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–5 एवं 7)

10. **कोर्ट केस** :– सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों एवं संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर पर लंबित वादों को त्वरित गति से निबटाया जाय। सबसे अधिक मामले RTA Muzaffarpur के यहाँ लंबित है।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा विधि कोषांग)

11. **विभागीय बैंक खातों में जमा राशि का अद्यतन प्रतिवेदन** :– जिला परिवहन कार्यालय औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, सीतामढ़ी, सीवान, गया, छपरा, पूर्णियाँ को छोड़कर शेष सभी जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा बैंक खाते में संचित राशि का अद्यतन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। प्रतिवेदन विहित प्रपत्र A, B, C में समुचित रूप से अंकित आँकड़ो के साथ भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुख्यालय तथा प्रशाखा–3)

12. **भवन निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता** :– जिला परिवहन कार्यालय–सह–सुविधा केन्द्र के भवन निमार्ण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से अनुरोध करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी पटना, नवादा, सीवान, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा, शिवहर, आरा, जमुई, भागलपुर तथा प्रशाखा–3)

13. **धर्मकांटा से संबंधित प्रतिवेदन** :– ट्रांसपोर्ट नगर, बिहटा, फतुहा में नव निर्मित धर्मकांटा के संचालन हेतु राज्य परिवहन आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना तथा धर्मकांटा निर्माण एजेंसी के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी पटना तथा प्रशाखा–3)

14. **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त मानदेय आदि के जून 2017 तक के भुगतान के उपरान्त प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी)

15. **अन्यान्य** :– कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न उपकरणों पर जैसे जेबरा प्रिन्टर, सर्वर, कम्प्यूटर आदि का कार्य क्षमता अवधि की जाँच कर छः महीने पहले से ही इसे बदलने की कार्रवाई की जाय, प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया है। इस हेतु एक–एक लाख रूपये उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी तथा प्रशाखा–2)

जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा यह समस्या उठाई गई की उनके कार्यालय में अस्थायी निबंधन एवं वाहनों का स्वामित्व हस्तांतरण VAHAN-4.0 स्वीकृत नहीं कर रहा है। एन0 आई0 सी0 को समस्या का समाधान हेतु निदेश दिया गया तथा सभी जिला परिवहन कार्यालयों में VAHAN-4.0 का Demo दिये जाने तथा उन्हें User ID एवं Password उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
(अनुपालन– एन0आई0सी0, पटना तथा प्रशाखा–2)

राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 03/प्र0–सांख्यिकी (विविध)–22/2012 5093 पटना, दिनांक– 06/10/17

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।